रजिस्ट्री सं० डी०—(डीएन)—128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 4, 1991 (वैशाख 14, 1913)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 4, 1991 (VAISAKHA 14, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	393
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	539
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	687
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक निगमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	469
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिज़ाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	475
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1693
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	59
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	393
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	539
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	687
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	469
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	475
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	1
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1693
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies .	59
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 1991

सं० 63-प्रेज/91—इस सचिवालय की दिनांक 26 जुलाई, 1979 की अधिसूचना सं० 33-प्रेज/79 में प्रकाशित पूर्वता सारणी में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन सामान्य सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है :—

नोट 6 के बदले निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :—

"नोट 6 में नोट 2—निर्धारित प्रक्रिया के होते हुए भी, अनुच्छेद 10 में व्यक्तियों के पारस्परिक रैंक तथा उनकी पूर्वता को निम्नलिखित क्रम दिया जाएगा :—

1. उप सभापति, राज्य सभा
2. उपाध्यक्ष, लोक सभा
3. केन्द्रीय राज्य मंत्रीगण और रक्षा मामलों के लिए रक्षा मंत्रालय में कोई अन्य मंत्री
4. राज्यों के उप मुख्य मंत्री
5. योजना आयोग के सदस्यगण

तथापि, राज्यों के उप मुख्य मंत्रियों का रैंक, अपने-अपने राज्यों के बाहर इस अनुच्छेद में आनेवाले अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों से नीचे होगा।"

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

उद्योग मंत्रालय
(तकनीकी विकास महानिदेशालय)
नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1991

संकल्प

सं० सी० ई० ए०/11(8)/89—दिनांक 27-2-1989 के संकल्प सं० सी० ई० ए०/11(8)/89 द्वारा सड़क निर्माण उपस्कर के लिए गठित विकास नामिका को इस संकल्प के जारी होने की तारीख से आगामी दो वर्षों के लिए बढ़ाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। नामिका का नया गठन इस प्रकार से होगा :—

क्र० सं०	व्यक्ति/संगठन का नाम	
1	2	3
1.	श्री के० के० सरीन महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव भूतल परिवहन मंत्रालय।	अध्यक्ष
2.	श्री वी० भनोट उप महानिदेशक त० वि० म० नि० नई दिल्ली।	सदस्य
3.	भारतीय "बिल्डर्स एसोसिएसन" का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	श्री ए० टी० पटेल गुजरात अपोलो लि० अहमदाबाद।	सदस्य
5.	श्री जे० पी० नायक, ग्रुप महाप्रबंधक लार्सन एण्ड टुब्रो लि०, बंगलूर।	सदस्य
6.	श्री एस० के० केलावकर, मुख्य कार्यकारी मार्शल एण्ड कम्पनी मद्रास।	सदस्य
7.	श्री दलजीत वालिया, उपाध्यक्ष एस्कार्टस लिमिटेड फरीदाबाद।	सदस्य
8.	श्री रवि गांधी, निदेशक कमैका (इंडिया) लि०, नई दिल्ली।	सदस्य
9.	श्री एन० ए० शाह, उपाध्यक्ष इंगरसोल रैंड (इंडिया) लि०, बंगलूर।	सदस्य
10.	श्री एस० के० राय, उपाध्यक्ष ग्रीवस काटन एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।	सदस्य

1	2	3
11.	श्री जे० के० दुगड, मुख्य इंजी० (मकैनिकल) भूतल परिवहन मंत्रालय ।	सदस्य
12.	श्री पी० के० लोरिया, मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान ब्रिज एण्ड कन्सट्रक्शन कं० जयपुर ।	सदस्य
13.	भाई स्विन्दर सिंह, निदेशक मैसर्स भाई सुन्दर दास नई दिल्ली ।	सदस्य
14.	औद्योगिक विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
15.	श्री वी० सी० माथुर, विकास अधिकारी तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव

नामिका की अन्य सभी शर्तें पहले वाली रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी सम्बन्धितों को प्रेषित कर दी जाये । यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

मदन मोहन
निदेशक (प्रशासन)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 1991

संकल्प

सं० एम०–12015-/3/90–एम० सी० एच०—इस मंत्रालय के 8 जून, 1989 के संकल्प सं० जैड०–16025-/11/88–एम० सी० एच० का अधिक्रमण करते हुए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सलाहकार समिति को निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है :—

1.	सचिव (प० क०)	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य
3.	अपर महानिदेशक (संचारी रोग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।	सदस्य
4.	भारतीय बालचिकित्सा संघ का प्रतिनिधि ।	सदस्य
5.	भारतीय चिकित्सा संघ का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	भारतीय प्रसूति और स्त्रीरोग विज्ञान सोसाइटी का प्रतिनिधि ।	सदस्य
7.	डा० (श्रीमती) शान्ति घोष, ए–1/18, पंचशील एनक्लेव, नई दिल्ली ।	सदस्य
8.	डा० जैकब जॉन, सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रोफेसर, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, बेल्लूर ।	सदस्य
9.	निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ।	सदस्य
10.	प्रो० कमल बक्शी, प्रसूति एवं स्त्री रोग प्रोफेसर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।	सदस्य
11.	श्रीमती विद्यावेन शाह, अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद् ।	सदस्य
12.	संयुक्त सचिव (मातृ–शिशु स्वास्थ्य/रोगप्रतिरक्षण) परिवार कल्याण विभाग ।	सदस्य
13.	संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।	सदस्य
14.	संयुक्त सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य
15.	निदेशक, राष्ट्रीय रोगक्षमता विज्ञान, संस्थान, नई दिल्ली ।	सदस्य
16.	प्रो० विजय कुमार, एस० डब्ल्यू० ए० सी० एच० फाउंडेशन, चंडीगढ़ ।	सदस्य
17.	डा० एम० के० भान, प्रोफेसर बाल चिकित्सा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।	सदस्य
18.	डा० एस० सी० पाल, निदेशक, एन० आई० सी० ई० डी०, कलकत्ता ।	सदस्य
19.	डा० (श्रीमती) विनोदिनी रेड्डी, निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ।	सदस्य

20. डा० (श्रीमती) चन्द्रिका पुरे, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, महाराष्ट्र, बम्बई । — सदस्य

21. जैव प्रोद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि । — सदस्य

22. सलाहकार (स्वास्थ्य), योजना आयोग, नई दिल्ली । — सदस्य

23. निदेशक (जन प्रचार), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली । — सदस्य

24. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि । — सदस्य

25. उपायुक्त (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य), परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली । — सदस्य

26. उप सचिव (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य), परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली । — सदस्य-सचिव

2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(i) देश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें रोग प्रतिरक्षण, ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी और ए० आर० आई० भी शामिल है, की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना ।

(ii) देश में सभी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना ।

(iii) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयासों के क्षेत्र व प्रकृति के मामले में इस मंत्रालय को सलाह व मार्गदर्शन प्रदान करना ।

3. समिति कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध विशेषज्ञों को बैठकों में भाग लेने के लिए सहयोजित/आमंत्रित कर सकेगी और विशिष्ट विषयों पर उप समितियां गठित करने के लिए प्राधिकृत होगी ।

4. समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा ।

5. समिति के सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उस स्रोत से वहन किया जाएगा जहां से वे अपना वेतन लेते हैं । समिति के गैर-सरकारी सदस्य अनुपूरक नियमों के उपबन्धों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

6. यह वित्त प्रभाग की 14 फरवरी, 1991 की डा० सं० 282/91-वित्त-I के तहत ली गई सहमति से जारी किया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

श्रीमती जयश्री गुप्ता
उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1991

संकल्प

सं० 24-1/88-सी० ए०-2—भारत सरकार ने दिनांक 7 जनवरी, 1987 के संकल्प सं० 24-1/86-सी० ए०-2 के तहत स्थापित भारतीय गन्ना विकास परिषद् को तत्काल पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है । परिषद् के पुनर्गठन की संरचना निम्नवत् होगी :—

1. अध्यक्ष : भारत सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक गैर-सरकारी व्यक्ति ।

2. उपाध्यक्ष : कृषि आयुक्त, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) ।

3. सदस्य

(क) संसद सदस्य : संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामित किए जाने वाले संसद के तीन सदस्य जिसमें 2 लोक सभा से और 1 राज्य सभा से होगा ।

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि : संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाने वाला निम्न-लिखित प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि जो गन्ना विकास विभाग से सम्बद्ध है :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. महाराष्ट्र
6. पंजाब
7. तमिलनाडु
8. उत्तर प्रदेश

(ग) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि : 1. महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा उनका नामजद व्यक्ति ।

2. सलाहकार (कृषि), योजना आयोग ।

3. वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि ।

4. मुख्य निदेशक (गन्ना), खाद्य विभाग ।

5. संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि एवं सहकारिता विभाग ।

6. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राय बरेली रोड, पो०ऑ०-दिलखुस, लखनउ–2 ।

7. परियोजना समन्वयक (गन्ना), भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।

8. परियोजना समन्वयक (चुकन्दर), उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर, जिला नैनीताल ।

9. नागरिक पूर्ति विभाग का एक प्रतिनिधि ।

10. राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक का एक प्रतिनिधि।

11. कृषि तथा सहकारिता विभाग में गन्ना से सम्बद्ध संयुक्त आयुक्त ।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि : (क) निम्नलिखित गन्ना उगाने वाले प्रत्येक राज्य से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला उत्पादकों का एक प्रतिनिधि :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. महाराष्ट्र
6. पंजाब
7. तमिलनाडु
8. उत्तर प्रदेश

(ख) भारत सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला उत्पादकों का एक प्रतिनिधि ।

(ङ) उद्योग के प्रतिनिधि : 1. भारतीय चीनी मिल संघ का एक प्रतिनिधि ।

2. राष्ट्रीय सहकारी गन्ना फैक्टरी संघ का एक प्रतिनिधि ।

3. गुड़ और खण्डसारी के पक्ष का एक प्रतिनिधि (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया जाना है) ।

(च) व्यापार के प्रतिनिधि : निम्नलिखित स्थानों के चीनी व्यापारी संघ का प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :—

1. बम्बई
2. कानपुर
3. कलकत्ता

(छ) श्रमिकों के प्रतिनिधि : (1) फार्म पर कार्यरत—एक
(2) कारखानों में कार्यरत—एक ।

(ज) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित व्यक्ति।

4. सदस्य सचिव : निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग, सी० जी० ओ० बिल्डिंग, हाल नं०–331–332 (तीसरी मंजिल), हापुड़ रोड चुंगी, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।

5. पर्यवेक्षक : (जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, परन्तु परिषद की बैठकों में सहायता देने के लिए अनिवार्यतया रूप से आमंत्रित किए जायेंगे)

1. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, अथवा उसका प्रतिनिधि ।

2. वित्तीय सलाहकार, कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ।

3. निदेशक, राष्ट्रीय गन्ना संस्थान अथवा उसका प्रतिनिधि ।

4 निदेशक, गन्ना प्रजनक संस्थान, कोयम्बटूर अथवा उसका प्रतिनिधि ।

5. आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय अथवा उसका प्रतिनिधि ।

6. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का एक प्रतिनिधि ।

7. प्रबन्धक निदेशक, नाफेड ।

2. यह परिषद सलाह देने वाली निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. गन्ना और चुकन्दर की फसलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के विकास कार्यक्रम पर विचार करना । समय-समय पर उसकी प्रगति की समीक्षा करना और गन्ना तथा चुकन्दर के उत्पादन को बढ़ाने के उपबंधों सम्बन्धी सिफारिशें देना ।

2. गन्ने और चुकन्दर के उत्पादन, विपणन, संसाधन, संग्रहण और परिवहन से सम्बन्धित समस्याओं पर, विचार करना और इस मामले में उत्पादकों तथा सरकार को सलाह देना ।

3. घरेलू और निर्यात बाजारों में गन्ने और चुकन्दर की विभिन्न किस्मों की मांग पर विचार करना और इसके अनुसार गन्ना और चुकन्दर उत्पादन कार्यक्रम में आवश्यक समायोजन के बारे में सरकार को सलाह देना ।

4. गन्ने और चुकन्दर उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे और सीमान्त किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उसको पूरा करने के लिए उचित उपाय सुझाना ।

5. गन्ने और चुकन्दर के उत्पादन के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करना और गन्ने तथा चुकन्दर की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में सलाह देना ।

6. अन्य सम्बद्ध मामलों पर जो आवश्यक समझे जाएं सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद् के पास विशिष्ट मामलों में जांच पड़ताल के लिए तकनीकी समितियां, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां स्थापित करने और कृषि विश्वविद्यालयों के और जब कभी आवश्यकता हो, विशेष उद्देश्यों के लिए अन्य विशेष संगठनों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में संयोजित करने का अधिकार होगा ।

4. ऐसे क्षेत्रों में जहां गन्ना और चुकन्दर की खेती होती है और गन्ना तथा चुकन्दर के व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर परिषद् नियमित अन्तराल पर बैठकें करेगी और भारत सरकार को सिफारिशें देगी ।

5. भारत सरकार के संकल्प द्वारा जब तक इसे भंग नहीं कर दिया जाता है परिषद् अपना कार्य जारी रखेगी । परिषद् के अध्यक्ष और अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल उन्हें इस परिषद् में नामित किए जाने की तारीख से 3 वर्ष होगा । यह तब तक प्रभावी होगा, जबतक इस अवधि को भारत सरकार के विशेष आदेश के तहत बढ़ाया या कम नहीं किया जाता है ।

6. संसद सदस्यों में से नामित होने वाले इस परिषद् के सदस्य संसद की सदस्यता समाप्त होने पर इस परिषद् के सदस्य भी नहीं रहेंगे ।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्यों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को संप्रेषित कर दिया जाए ।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० राजन,
संयुक्त सचिव

(पशु पालन और डेरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 1991

संकल्प

सं० 20-23/89-डेरी उत्पाद—आपरेशन फ्लड-3 के कार्यान्वयन को मानिटर करने के लिए एक संचालन समिति के गठन के सम्बन्ध में दिनांक 25 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के दिनांक 25 अक्तूबर, 1989 के संकल्प संख्या 20-23/89-डेरी उत्पाद में तत्काल निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

उक्त संकल्प के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित संचालन समिति की संरचना में संशोधन किया जाता है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए :—

(1) सचिव	(पशु पालन तथा डेरी)	अध्यक्ष
(2) सचिव	(कृषि एवं सहकारिता)	सदस्य
(3) सचिव	(व्यय)	सदस्य
(4) सचिव	(योजना आयोग)	सदस्य

(5) सचिव (आर्थिक कार्य) सदस्य
(6) सचिव (ग्रामीण विकास) सदस्य
(7) अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड सदस्य
(8) संयुक्त सचिव (ऋण तथा सहकारिता) कृषि और सहकारिता विभाग आमंत्रित
(9) पशु पालन आयुक्त, पशु पालन और डेरी विभाग आमंत्रित ।

पैराग्राफ 3 में संयुक्त सचिव (डेरी विकास), कृषि और सहकारिता विभाग, के स्थान पर संयुक्त सचिव (डेरी विकास) पशु पालन तथा डेरी विभाग पढ़ा जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सूचना सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक तथा महालेखाकार और महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और महा प्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना को भेजी जाए ।

एस० पार्थसारथी,
संयुक्त सचिव (डेरी विकास)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 1991

संकल्प

सं० 312/36/89—एफ(पी)—इस मंत्रालय के दिनांक 30 नवम्बर, 1989 के संकल्प संख्या 312/36/89—एफ (पी) में आंशिक संशोधन करते हुए, दिनांक 30 नवम्बर, 1989 के संकल्प संख्या 312/36/89—एफ(पी) के तहत पहले ही शामिल 11 गैर-सरकारी सदस्यों के अलावा वृत्तचित्र फिल्म खरीद समिति में निम्नलिखित 3 व्यक्तियों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाता है :—

1. श्री ओम कात्रे, बम्बई ।
2. श्री ज्ञान सहाय, बम्बई ।
3. सुश्री अनीता सहाय, दिल्ली ।

2. उपर्युक्त संकल्प में निहित अन्य शर्तें वही रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जायें ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एन० ए० विश्वनाथन,
निदेशक (फिल्म)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1991

सं० क्यू—16012/2/89—ई० एस० ए० (डब्ल्यू० ई०)—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(IV) के साथ पठित नियम—3(ii) के अनुसरण में, भारत सरकार इसके द्वारा श्री आर० के० चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के स्थान पर श्री भूरे लाल, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (श्रम मंत्रालय के एकीकृत वित्त सलाहकार) भारत सरकार, नई दिल्ली को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

तदनुसार समय-समय पर यथासंशोधित श्रम मंत्रालय की तारीख 25 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या क्यू—16012/2/89—ई० एस० ए० (डब्ल्यू० ई०) में निम्नलिखित परिवर्तन किए जायेंगे ।

(i) वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, अर्थात्

"3. श्री आर० के० चक्रवर्ती,
संयुक्त सचिव,
जल संसाधन मंत्रालय,
(श्रम मंत्रालय के वित्त सलाहकार)
भारत सरकार, नई दिल्ली ।"

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात

"3. श्री भूरे लाल,
संयुक्त सचिव,
वित्त मंत्रालय,
(व्यय विभाग),
(श्रम मंत्रालय के वित्त सलाहकार)
भारत सरकार, नई दिल्ली ।"

ए० के० चन्दा,
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 19th April 1991

No. 63-Pres/91.—The following amendment approved by the President to the Table of Precedence published in this Secretariat Notification No. 33-Pres/79, dated the 26th July, 1979 is notified for general information :—

For Note 6 substitute the following :

"Note 6. Notwithstanding the procedure laid down in Note 2, the rank *inter se* and precedence of the persons in Article 10 shall be assigned in the following order :—

1. Deputy Chairman, Rajya Sabha.
2. Deputy Speaker, Lok Sabha.
3. Ministers of State of the Union and any other Minister in the Ministry of Defence for defence matters.
4. Deputy Chief Ministers of States.
5. Members of the Planning Commission.

However, the Deputy Chief Ministers of States outside their respectives State will always rank below all other dignitaries figuring in this article."

A. K. UPADHYAY
Director

MINISTRY OF INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 8th March 1991

RESOLUTION

No. CEA/11(8)/90/235.—Government of India have decided to extend the validity of the Development Panel for Road Construction Equipment constituted vide Resolution No. CEA/11(8)/89 dated 27-2-1989 for a further period of two years from the date of issue of this Resolution. The new composition of the Panel is as under :—

S. No. & Name of the person/organisation

Chairman

1. Shri K. K. Sarin,
Director General (Road Development)
& Additional Secretary,
Ministry of Surface Transport.

Members

2. Shri B. Bhanot,
Dy. Director General,
DGTD,
New Delhi.

3. Representative of Builders Association of India.

4. Shri A. T. Patel,
Gujarat Apollo Ltd.,
Ahmedabad.

5. Shri J. P. Nayak,
Group General Manager,
Larsen & Toubro Ltd.,
Bangalore.

6. Shri S. K. Kelavkar,
Chief Executive,
Marshall & Company,
Madras.

7. Shri Daljit Walia,
Vice President,
Escorts Ltd.,
Faridabad.

8. Shri Ravi Gandhi,
Director,
Comaco (India) Ltd.,
New Delhi.

9. Shri N. A. Shah,
Vice President,
Ingersol Rand (I) Ltd.,
Bangalore.

10. Shri S. K. Roy,
Vice President,
Grieves Cotton & Company (Pvt.) Ltd.,
New Delhi.

11. Shri J. K. Dugad,
Chief Engineer (Mech.),
Ministry of Surface Transport.

12. Shri P. K. Lauria,
Managing Director,
Rajasthan Bridge & Construction Company,
Jaipur.

13. Bhai Swinder Singh,
Director,
M/s. Bhai Sunder Das,
New Delhi.

14. Representative from
Department of Industrial Development.

Member-Secretary

15. Shri V. C. Mathur,
Development Officer,
DGTD,
New Delhi.

The terms of reference of the Panel would remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN
Director (Administration)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(MCH SECTION)

New Delhi, the 6th March 1991

RESOLUTION

No. M.12015/3/90-MCH.—In supersession of this Ministry's Resolution No. Z.16025/11/88-MCH dated 8-6-1989, it has been decided to reconstitute the Advisory Committee on Maternal and Child Health, as under :—

Chairman

1. Secretary (FW)

Members

2. Director General of Health Services.

3. Additional DG (Communicable Diseases), ICMR, New Delhi.

*4. Representative of Indian Paediatric Association.

*5. Representative of Indian Medical Association.

*6. Representative of Federation of obstetrics Gynaecology Societies of India.

*7. Dr. (Mrs.) Shanti Ghosh,
A-1/18, Panchasheel Enclave,
New Delhi.

8. Dr. Jacob John,
Professor of Microbiology,
Christian Medical College,
Vellore.

9. Director,
Central Research Institute,
Kasauli.

10. Prof. Kamal Buckshee,
Professor of Obstetrics & Gynaecology, AIIMS,
New Delhi.

*11. Smt. Vidyaben Shah,
President,
Indian Council of Child Welfare.

12. Joint Secretary (MCH/Immunisation),
Deptt. of Family Welfare.

13. Joint Secretary (FA),
Ministry of Health & Family Welfare.

14. Joint Secretary,
Deptt. of Women & Child Development,
Shastri Bhavan, New Delhi.

15. Director,
National Institute of Immunology,
New Delhi.

*16. Prof. Vijay Kumar,
SWACH Foundation,
Chandigarh.

17. Dr. M. K. Bhan,
Prof. of Paediatrics, AIIMS,
New Delhi.

18. Dr. S. C. Pal,
Director, NICED,
Calcutta.

19. Dr. (Smt.) Vinodini Reddy,
Director,
National Institute of Nutrition,
Hyderabad.

20. Dr. (Smt.) Chandrikapure,
Director of Health Services, Maharashtra,
Bombay.

21. Representative of Deptt. of Bio-technology.

22. Advisor (Health), Planning Commission,
New Delhi.

23. Director (Media),
Ministry of Health & Family Welfare,
New Delhi.

24. Representative of Ministry of Information & Broadcasting.

25. Deputy Commissioner (MCH),
Deptt. of Family Welfare,
New Delhi.

Member-Secretary

26. Deputy Secretary (MCH),
Deptt. of Family Welfare,
New Delhi.

2. The terms of reference of the Committee shall be :

(i) To review the present status of Maternal and Child Health Programme in the country including Immunisation, ORT and ARI.

(ii) To review the progress of implementation of all MCH related programmes in the country.

(iii) To provide advice and guidance to the Ministry regarding the scope and nature of MCH related interventions.

3. The Committee shall have powers to co-opt/invite experts connected with various aspects of the programme to attend the meetings and will be authorised to set up subgroups for specific issues.

4. The tenure of the Committee shall be for two years.

5. TA/DA of the official members of the Committee will be met from the source from which their pay is drawn. The non-official Members of the Committee will be entitled for TA/DA as per the provisions of S.Rs. and other orders issued on the subject from time to time by the Ministry of Finance.

6. This issues with the concurrence of Finance Division vide their Dy. No. 282/91-Fin.1 dated 14-2-91.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments.

Ordered also that the resolution be published in Gazette of India for General information.

MRS. JAYASHREE GUPTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 30th January 1991

RESOLUTION

No. 24-1/88-CA.II.—The Government of India have decided to reconstitute the Indian Sugarcane Development Council set up vide Resolution No. 24-1/86-CA-II dated the 7th January 1987 with immediate effect. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. CHAIRMAN

A non-official to be nominated by the Government of India.

II. VICE CHAIRMAN

Agriculture Commissioner to the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation)

III. MEMBERS

(A) MEMBERS OF PARLIAMENT

Three Members of Parliament to be nominated by the Deptt. of Parliamentary Affairs, 2 from Lok Sabha and 1 from Rajya Sabha.

(B) REPRESENTATIVES OF STATE GOVTS.

One representative each from the following State Govts. in the Deptt. dealing with Sugarcane development to be nominated by the respective State Govts.

1. Director General, ICAR or his nominee
2. Bihar
3. Haryana
4. Karnataka
5. Joint Secretary (Extn.) Deptt. of Agriculture &
6. Punjab
7. Tamil Nadu
8. U.P.

(C) REPRESENTATIVES OF CENTRAL GOVERNMENT

1. Driector General, ICAR or his nominee.
2. Adviser (Agriculture), Planning Commission.
3. One representative of the Ministry of Commerce.
4. Chief Director (Sugar), Department of Food.
5. Joint Secretary (Extn.) Deptt. of Agriculture & Coopn.

6. Director, Indian Instt. of Sugarcane Research, Rae Bareilly Road. P.O. Dilkhus, Lucknow-2.

7. Project Coordinator (Sugarcane), Indian Instt. of Sugarcane Research Lucknow.

8. Project Coordinator (Sugarbeet), U.P. Agriculture University, Pant Nagar. District Nainital.

9. One representative of the Deptt. of Civil Supplies.

10. A representative of the National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD).

11. Joint Commissioner dealing with Sugarcane in the Deptt. of Agriculture & Cooperation.

(D) REPRESENTATIVES OF GROWERS

(a) One representative of the growers to be nominated by the respective State Govts. from each of the following Sugarcane growing States :
1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Haryana
4. Karnataka
5. Maharashtra
6. Punjab
7. Tamil Nadu
8. U.P.

(b) One representative of the growers to be nominated by the Govt. of India.

(E) REPRESENTATIVES OF INDUSTRY

1. One representative of the Indian Sugar Mills Association.

2. One representative of the National Federation of Cooperative Sugarcane Factories.

3. One representative of Gur and Khandsari interest (to be nominated by the Government of U.P.).

(F) REPRESENTATIVES OF TRADE

One representative each of the Sugar Merchants Association at :—
1. Bombay
2. Kanpur
3. Calcutta

(G) REPRESENTATIVES OF WORKERS

(i) Engaged in farms—One

(ii) Engaged in factories—One

(H) Such other persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India.

IV. MEMBERS SECRETARY

Director, Dte. of Sugarcane Development Deptt. of Agriculture & Cooperation, C.G.O. Building, Hall No. 331-332 (Third Floor), Hapur Road Chungi, Kamala Nehru Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

V. OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

1. Agricultural Marketing Adviser Deptt. of Rural Development, Ministry of Agriculture or his representative.

2. Financial Adviser, Deptt. of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture.

3. Director, National Sugar Institute, Kanpur or his representative.

4. Director, Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore or his representative.

5. Economics and Statistical Advlser, Ministry of Agriculture or his representative.

6. A representative of the National Cooperative Development Corporation.

7. Managing Director, NAFED.

2. The Council will be an *advisory body* and will have the following functions :—

1. To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Sugarcane and Sugarbeet crops, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of sugarcane and sugarbeat;

2. To consider problems relating to the production, marketing, processing, storage and transport of sugarcane and sugarbeet growers and advise Government in these matter;

3. To consider demands for different varieties of sugarcane and sugarbeet in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in sugarcane and sugarbeet production programme accordingly;

4. To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of sugarcane and sugarbeet production and suggest suitable measures for meeting the same;

5. To facilitate coordination between research and development programme relating to sugarcane and sugarbeet and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of sugarcane and sugarbeet; and

6. To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Technical Committees, Standing Committees and *ad-hoc* Committees to look into specific issues and to coopt members such as representative of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which Sugarcane and Sugarbeet are grown and at important centres of sugarcane and sugarbeet trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to functions until it is abolished by a resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date on which they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by specific of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from the Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

1. ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Government, Administration of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. RAJAN, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

New Delhi, the 3rd April 1991

RESOLUTION

No. 20-23/89-DP.—In the Resolution of the Government of India No. 20-23/89-DP dated the 25th October, 1989 published in Gazette of India dated the 25th November, 1989, regarding the setting up of a Steering Committee to monitor the implementation of Operation Flood-III, the following amendments are made with immediate effect :—

The composition of the Steering Committee mentioned in paragraph 1 of the said Resolution is amended to read as below :—

Chairman

(i) Secretary (A.H. & Dairing)

Members

(ii) Secretary (Agri. & Coopn.)

(iii) Secretary (Expenditure)

(iv) Secretary (Planning Commission)

(v) Secretary (Economic Affairs)

(vi) Secretary (Rural Development)

(vii) Chairman, National Dairy Dev. Board

(viii) Joint Secretary (Credit & Coop.), Deptt. of Agri. & Coopn.

Invitee

(ix) Animal Husbandry Commissioner, Deptt. of Animal Husbandy & Dairying Invitee

In paragraph 3 for the words Joint Secretary (Dairy Development) in the Department of Agriculture & Cooperation read "Joint Secretary (Dairy Development) in the Department of Animal Husbandry & Dairying".

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, All Ministries/Departments of the Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, the President Secretariat, the Planning Commission, the CAG and AGCR, National Dairy Development Board, ICAR, DGHS and General Manager, Delhi Milk Scheme.

S. PARTHASARATHY, Jt. Secy. (Dairy Dev.)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th March 1991

RESOLUTION

No. 312/36/89-F(P).—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 312/36/89-F(P) dated 30th November 1989 the following 3 persons are being associated as non-official members in the Documentary Film Purchase Committee in addition to the 11 non-official members already included vide Resolution No. 312/36/89 F(P) dated 30th November 1989 :—

1. Shri Om Katre, Bombay
2. Shri Gyan Sahai, Bombay
3. Ms. Anita Sahai, Delhi

2. The other terms and conditions contained in the above mentioned Resolution will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. A. VISWANATHAN, Director (Films)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 4th April 1991

No. Q-16012/2/89-ESA(WE)(.)—In pursuance of Rule 3(ii) read with Rule 4(iv) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint Shri Bhure Lal, Joint Secretary in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) (Integrated Financial Adviser to the Ministry of Labour) Govt. of India, New Delhi as a member on the Central Board for Workers Education in place of Shri R. K. Chakraborti, Joint Secretary, Ministry of Water Resources, Government of India, New Delhi, with effect from the date of issue of this Notification.

2. The following changes shall, accordingly, be made in the Ministry of Labour Notification No Q-16012/2/89-ESA(WE) dated the 25th June, 1990, as amended from time to time :—

(i) for the existing entry viz —

"3. Shri R. K. Chakraborti,
Joint Secretary,
Ministry of Water Resources,
(Financial Adviser to Ministry of Labour),
Government of India, New Delhi."

(ii) the following entry shall be substituted viz :—

"3. Shri Bhure Lal
Joint Secretary,
Ministry of Finance,
(Department of Expenditure)
(Financial Adviser to Ministry of Labour),
Government of India, New Delhi."

A. K. CHANDA, Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991.